दांडिक प्रकरण क्रमांक 1684/2022 **शासन विरूद्ध पवन यादव**

Witness No.....**02**.....for.....**अभियोजन साक्षी**.....Deposition taken the.....**.10.03.2025**.....day of.....**सोमवार**.....Witness's apparent age.....**36 वर्ष**.....

States on affirmation.....**शपथपूर्वक**.....may name is.....**..... चंद्रकली कंवर**.....

son of .....**श्री सुमंगल सिंह कंवर** .....Occupation.....**महिला प्रधान आरक्षक (846)**.....

address.....**पुलिस चौकी तुमडीबोड, जिला राजनांदगांव (छ०ग०)**.....

.....

समय 01:20 से

मुख्य परीक्षण द्वारा ए.डी.पी.ओ श्री निखिल सुषमाकर

01. मैं दिनांक 25.09.2022 में पुलिस चौकी चिचोला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ थी । उक्त दिनांक को हमराह स्टॉफ आरक्षक 1464 सैनिक 248 के साथ में जुर्म जरायम पता साजी हेतु देहात रवाना हुआ था कि मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम एलबी नगर बापूटोला महाराजपुर भम्रण के दौरान सूचना मिली कि एक व्यक्ति सप्तखंडा ढाबा झंडातलाब के पीछे अत्याधिक मात्रा में अवैध रूप से शराब विक्रय के प्रयोजन से रखा हुआ हैं । मेरे द्वारा गवाह मो. जुनैद एवं अनिल यादव को मुखबीर सूचना से अवगत करा कर एवं उन्हें कार्यवाही में गवाह के रूप में सम्मिलित होने के धारा 160 द.प्र.सं का नोटिस दिया था जो **प्र.पी. 01** है, जिसके ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

02. मेरे द्वारा उक्त सूचना की प्राप्ती पर घटना स्थल पहुंचकर आरोपी की तलाशी ली गई थी । तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से शराब बरामद किया गया था । मैंने आरोपी को बरामदशुदा शराब के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु धारा 91 द.प्र.सं का नोटिस दिया था जो **प्र.पी. 06** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं, आरोपी ने मेर पास शराब बिक्री करने के संबंध में कोई वैद्य दस्तावेज नहीं है लिखकर ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर किया। मैंने गवाहो के समक्ष आरोपी के कब्जे से 10 पौवा देसी प्लेन शराब को गवाहो के समक्ष बरामद करके जप्त किया था । जप्ती पत्रक **प्र.पी. 02** है, जिसके ब से ब भाग पर मेरे एवं स से स भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर है।

03. विवेचना के दौरान मैने गवाह मो. जुनैद एवं अनिल यादव का बयान लेखबद्ध किया था। आरोपी के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर आरोपी को गवाहों के समक्ष उसे गिरफ्तार पत्रक **प्र.पी. 03** के

मुताबिक विधिवत गिरफ्तार किया था, जिसके ब से ब भाग पर मेरे एवं स से स भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर है। मैंने गवाह के समक्ष घटना स्थल का नजरी नक्शा **प्र.पी. 04** तैयार किया था, जिसके ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। मेरे द्वारा तैयार की गई देहाती नॉलसी **प्र.पी. 07** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं ।

04. मैं आबकारी वृत्त डोंगरगढ़ को आरोपी के कब्जे से जप्तशुदा शराब का परीक्षण कर नतीजे से अवगत कराने बाबत् तहरीर **प्र.पी. 08** लिखा था, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। प्रकरण में संलग्न रोजनामचा सान्हा **प्र.पी. 09** है, जिसके क्रमशः अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं । मैंने सम्पूर्ण विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री एन्थोनी फिलिप अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त</u>

05. यह कहना सही है कि मैं प्रकरण में मुखबीर सूचना पंचनामा तैयार नहीं किया हैं । यह कहना सही है कि मैंने प्रकरण में जामा तलाशी की कार्यवाही नहीं किया हैं । यह कहना सही है कि मैं आसपास के लोगो को प्रकरण में साक्षी नहीं बनाया हैं । यह कहना सही है कि मैं आज मूल रोजनामा सान्हा एवं मूल जप्त रजिस्टर साथ लेकर न्यायालय नहीं आई हूँ । यह कहना सही है कि मैं प्रकरण में सेंपल पंचनामा की कार्यवाही नहीं किया हैं । यह कहना गलत है कि मैंने साक्षीयो के समक्ष आरोपी से कोई शराब जप्त नहीं की हूँ । यह कहना गलत है कि साक्षीये ने मुझे कोई बयान नहीं दिया था, उनका बयान अपने मन से दर्ज की हूँ । यह कहना सही है कि प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही मेरे द्वारा की गई हैं । यह कहना गलत है कि मैंन घटना स्थल पर नहीं गई थी । घटना स्थल का नजरी नक्शा पुलिस चौकी में बैठकर तैयार की हूँ । यह कहना गलत है कि आरोपी से कोई शराब जप्त नहीं किया था, उसके विरूद्ध झूठा मामला बनाया हैं ।

समाप्ति समयः– 01:30 तक
साक्षी को पढकर सुनाया गया। **मेरे निर्देश पर टंकित किया।**
सही होना स्वीकार किया।

गवाह के हस्ताक्षर

सही/–
(शैलेश कुमार वशिष्ट)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

सही/–
(शैलेश कुमार वशिष्ट)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

दांडिक प्रकरण क्रमांक 1684/2022 **शासन विरूद्ध पवन यादव**

Witness No.....**01**.....for.....**अभियोजन साक्षी**.....Deposition taken the.....**10.03.2025**.....day of.....**सोमवार**.....Witness's apparent age.....**32 वर्ष**..... States on affirmation.....**शपथपूर्वक**.....may name is.....**श्री जुनैद खान**..... son of .....**श्री मो. खलील** .....Occupation.....**मजदूरी**..... address.....**ग्राम झंडातलाव, थाना बागनदी, जिला राजनांदगांव (छ०ग०)**.....

.....

समय 01:15 से

मुख्य परीक्षण द्वारा ए.डी.पी.ओ श्री निखिल सुषमाकर

01. मैं आरोपी पवन यादव को नहीं जानता हूं। मुझे घटना का दिनांक आज याद नहीं है। मुझे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। घटना दिनांक को पुलिसवाले मेरे पंचर दुकान में आये थे और मुझसे कुछ दस्तावेजो पर हस्ताक्षर करवा लिये थे। पुलिस ने मेरे समक्ष कोई कार्यवाही नही किया। साक्षी को गवाह बनने हेतु धारा 160 द.प्र.सं. का नोटिस प्र.पी. 01, संपत्ति जप्ती पत्रक प्र.पी. 02, गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी. 03, नजरी नक्शा प्र.पी. 04 दिखाये जाने पर क्रमशः अ से अ भाग पर अपना हस्ताक्षर होना बताया। मैंने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया है ।

टीपः– इसी स्तर पर साक्षी का अभियोजन का समर्थन नहीं किये जाने पर अभियोजन द्वारा साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने की अनुमति चाही गयी जो अभिलेख के अवलोकन पश्चात प्रदान की गयी।

02. यह कहना गलत है कि पुलिस वालों ने मुझे गवाह बनने के लिए नोटिस दिया था। यह कहना गलत है कि पुलिस ने मेरे समक्ष आरोपी के कब्जे से 10 पौवा देसी प्लेन मदिरा शराब को बरामद कर जप्त किया था। यह कहना गलत है कि पुलिस ने मेरे समक्ष आरोपी को गिरफ्तार किया था। यह कहना गलत है कि मेरे समक्ष नजरी नक्शा तैयार किया गया था। साक्षी को उसके पुलिस कथन प्र.पी. 05 के अ से अ भाग के अंश को पढकर सुनाये जाने पर उसने पुलिस को उक्त बयान देने से इंकार किया। यह कहना गलत है कि मैं आरोपी से मिल गया हूं इसलिए उसे बचाने के लिए सही बात नहीं बता रहा हूं।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री एन्थोनी फिलिप अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त</u>

03. यह कहना सही है कि प्र.पी. 01 से 04 पर हस्ताक्षर लेने के पूर्व मुझे यह नहीं बताया था कि किस कार्यवाही से संबंधित लिखा पढी पर हस्ताक्षर ले रहे है। यह भी सही है कि पुलिस वालों के द्वारा मुझे प्र.पी. 01 से 04 को न तो पढकर सुनाये थे और न ही पढने दिये थे। यह कहना सही है कि जिस वक्त मैं उक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर रहा था आरोपी वहां उपस्थित नहीं था।

समाप्ति समयः– 01:20 तक
साक्षी को पढकर सुनाया गया। **मेरे निर्देश पर टंकित किया।**
सही होना स्वीकार किया।

गवाह के हस्ताक्षर

सही/–
(शैलेश कुमार वशिष्ट)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

सही/–
(शैलेश कुमार वशिष्ट)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)